

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :-

जगदीश प्रसाद गौड़
आर.ए.एस.

अपील संख्या :- 103/2022

1. ताराचन्द आयु 67 वर्ष पुत्र भगवाना, जाति जाट, निवासी पापड़ा खुर्द, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनू।
2. अरुण आयु 30 वर्ष पुत्र नौरंग जाति जाट, निवासी पापड़ा खुर्द, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनू।

-अपीलांटस

-बनाम-

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार उदयपुरवाटी, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनू ।

-रेस्पोंडेंटस

अपील खिलाफ निर्णय न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी
उनवानी सरकार बनाम ताराचंद वगैरह अं० धारा 91 एल०आर०एक्ट 1956
मु०न० 59/2022 निर्णय दिनांक 18.07.2022

उपस्थिति:-


1. श्री विजयपाल, एडवोकेट -----अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक -----रेस्पोंडेंट की ओर से।

-निर्णय-

दिनांक 31.03.2023

उक्त अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 18.07.2022 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम ताराचंद वगैरह, मु० नं० 59/2022 अ. धारा 91 एल. आर. एक्ट 1956 न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी के विरुद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार अंकित किये गये हैं कि - अदालत मातहत तहसीलदार उदयपुरवाटी ने अपीलांटस को जमीन हाल खसरा संख्या 306 रकबा 0.65 है. गै. मुमकिन नाला सरहद मौजा पापड़ा खुर्द में से 0.0070 है० पर अतिक्रमी घोषित कर बेदखल करने का आदेश दिनांक 18.7.2022 पारित किया है जिसके विरुद्ध अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि- अपीलांटस के विरुद्ध धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधान लागू नहीं होते। निर्णय दिनांक 18.7.2022 स्पीकिंग नहीं है। तथाकथित अतिक्रमण की लम्बाई-चौड़ाई दर्ज नहीं है। तथाकथित अतिक्रमण कितने वर्ष पुराना है, यह भी दर्ज नहीं है। अदालत मातहत ने हल्का पटवारी की एक पक्षीय रिपोर्ट को आधार मानकर अपीलांट के विरुद्ध बेदखली का आदेश पारित किया है। हल्का पटवारी की रिपोर्ट सुनिश्चित नहीं




 अतिरिक्त जिला कलक्टर
 झुंझुनू

है। पटवारी हल्का बतौर साक्षी अदालत मातहत में उपस्थित नहीं हुआ है। अदालत मातहत ने बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये निर्णय पारित किया है, जो खारिज होने योग्य है। विवादित जमीन वास्तविक रूप से नाले की नहीं है और ना कभी तथाकथित अतिक्रमण स्थल पर नाला बहाव क्षेत्र रहा है। राजस्व रिकार्ड के मुताबिक भौतिक स्थिति कभी नहीं रही। गत नक्शासीट के मुताबिक हाल नक्शासीट भू-प्रबंध विभाग ने नहीं बनाया है। राजस्व रिकार्ड व नक्शासीट में गलत तरमीम के आधार पर पटवारी हल्का ने मनमर्जी से नाप दिखाकर अतिक्रमण की रिपोर्ट पेश की है। तथाकथित अतिक्रमण स्थल पर कब्जा पुराना है। मौके पर सीमेन्टेड सड़क बनी हुई है जो राज्य सरकार ने बनायी है। मौके पर गै.मु. नाला अथवा बहाव क्षेत्र होता तो राज्य सरकार द्वारा पुरखा सड़क का निर्माण नहीं करवाया जाता। इससे भी साबित है कि गलत रिकार्ड के आधार पर कार्यवाही की गई है। अदालत मातहत ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जवाब को डिस्कस नहीं किया है। अपीलांट ने अपने जवाबमें सारवान बिन्दु उठाया था। कानून से जहां कोई सारवान बिन्दु अन्तरवर्लित हो वहां संक्षिप्त प्रक्रिया के मार्फत बेदखली की कार्यवाही नहीं की जा सकती। पटवारी हल्कमा ने अपीलांटस के विरुद्ध संयुक्त कब्जे की रिपोर्ट की है। जबकि अदालत मातहतने बेदखली केवल अपीलांट ताराचंद के विरुद्ध की है, जिसका कोई आधार दर्ज नहीं है। इससे स्पष्ट है कि मनमर्जी से निर्णय पारित किया है। अदालत मातहत ने निर्णय जैर बहस में समस्त पक्षकारान के नाम पते दर्ज नहीं किये है। राजस्थान रेवेन्यू कोर्ट मैनुअल 1956 भाग द्वितीय के मुताबिक तमाम पक्षकारों के नाम पते दर्ज होना आवश्यक है। अदालत मातहत व पटवारी द्वारा जनबूझकर अपीलांटस के विरुद्ध कार्यवाही की है। अपीलांटस के समानान्तर काबिज काफी व्यक्तियों को नाटिस नहीं दिये गये हैं। इससे भी साबित है कि राजनैतिक दबाव से पक्षपात किया गया है। अंत में अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अदालत मातहत तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.7.2022 को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुय कथन किया कि—अदालत मातहत तहसीलदार उदयपुरवाटी ने अपीलांटस को जमीन हाल खसरा संख्या 306 रकबा 0.65 है. गै. मुमकिन नाला सरहद मौजा पापड़ा खुर्द में से 0.0070 है, पर अतिक्रमी घोषित कर बेदखल करने का आदेश दिनांक 18.7.2022 पारित किया है जिसके विरुद्ध अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि— अपीलांटस के विरुद्ध धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधान लागू नहीं होते। निर्णय दिनांक 18.7.2022 स्पीकिंग नहीं है। तथाकथित अतिक्रमण की लम्बाई—चौड़ाई दर्ज नहीं है। तथाकथित अतिक्रमण कितने वर्ष पुराना है, यह भी दर्ज नहीं है। अदालत मातहत ने हल्का पटवारी की एक पक्षीय रिपोर्ट को आधार मानकर अपीलांट के विरुद्ध बेदखली का आदेश पारित किया है। हल्का पटवारी की रिपोर्ट साबित नहीं है। पटवारी हल्का बतौर साक्षी अदालत मातहत में उपस्थित नहीं हुआ है। अदालत मातहत ने

जान
अतिरिक्त जिला क्लर्क
झुंझुनू

बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये निर्णय पारित किया है, जो खारिज होने योग्य है। विवादित जमीन वास्तविक रूप से नाले की नहीं है और ना कभी तथाकथित अतिक्रमण स्थल पर नाला बहाव क्षेत्र रहा है। राजस्व रिकार्ड के मुताबिक भौतिक स्थिति कभी नहीं रही। गत नक्शासीट के मुताबिक हाल नक्शासीट भू-प्रबंध विभाग ने नहीं बनाया है। राजस्व रिकार्ड व नक्शासीट में गलत तरमीम के आधार पर पटवारी हल्का ने मनमर्जी से नाप दिखाकर अतिक्रमण की रिपोर्ट पेश की है। तथाकथित अतिक्रमण स्थल पर कब्जा पुराना है। मौके पर सीमेन्टेड सड़क बनी हुई है जो राज्य सरकार ने बनायी है। मौके पर गै.मु. नाला अथवा बहाव क्षेत्र होता तो राज्य सरकार द्वारा पुख्ता सड़क का निर्माण नहीं करवाया जाता। इससे भी साबित है कि गलत रिकार्ड के आधार पर कार्यवाही की गई है। अदालत मातहत ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जवाब को डिस्कस नहीं किया है। अपीलांट ने अपने जवाबमें सारवान बिन्दु उठाया था। कानून से जहां कोई सारवान बिन्दु अन्तरवर्लित हो वहां संक्षिप्त प्रक्रिया के मार्फत बेदखली की कार्यवाही नहीं की जा सकती। पटवारी हल्का ने अपीलांटस के विरुद्ध संयुक्त कब्जे की रिपोर्ट की है। जबकि अदालत मातहतने बेदखली केवल अपीलांट ताराचंद के विरुद्ध की है, जिसका कोई आधार दर्ज नहीं है। अदालत मातहत ने निर्णय जैर बहस में समस्त पक्षकारान के नाम पते दर्ज नहीं किये है। राजस्थान रेवेन्यू कोर्ट मैनुअल 1956 भाग द्वितीय के मुताबिक तमाम पक्षकारों के नाम पते दर्ज होना आवश्यक है। अदालत मातहत व पटवारी द्वारा जनबूझकर अपीलांटस के विरुद्ध कार्यवाही की है। अपीलांटस के समानान्तर काबिज काफी व्यक्तियों को नाटिस नहीं दिये गये हैं। इससे भी साबित है कि राजनैतिक दबाव से पक्षपात किया गया है। अंत में अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अदालत मातहत तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.7.2022 को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि अपीलाट्स द्वारा राजकीय भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा विधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर निर्णय पारित किया गया है। पारित निर्णय में कोई विधिक त्रुटि नहीं है, अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। हल्का पटवारी पापड़ा कलां की रिपोर्ट के अनुसार भूमि खसरा नंबर 306 कुल रकबा 0.65 हैक्टर किस्म गैर मु0 नाला में से 0.0070 हैक्टर पर अपीलांट द्वारा अनाधिकृत रूप से पक्का निर्माण कर अतिक्रमण किया जाना बताया गया है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा अपीलांट को विधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत नोटिस जारी कर सुना गया है। अपीलांट द्वारा उपस्थित होकर अपना जवाब प्रस्तुत किया गया है। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय एवं हाजा न्यायालय के समक्ष ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई, जिससे विवादित भूमि पर उनके द्वारा कब्जा वैध साबित होता हो। विवादित भूमि गै.मु.नाले की भूमि है जो राज्य सरकार द्वारा प्रतिबंधित श्रेणी की होने से नियमन योग्य नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी

७/१०/२०
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
झुंझुनू

द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.07.2022 में कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होने से अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.07.2022 उनवानी सरकार बनाम ताराचन्द मु0नं0 59/2022 धारा 91 एल.आर.एक्ट यथावत रखा जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफतर हो।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 31.03.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
झुंझुनू